प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 22.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना के मु0अ0सं0 619/26 धारा 126(2)/191(2)/191(3)/190/131/352/115(2)/109(1)/324(4)61(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 03 डण्डे बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.09.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी करतार सिंह पुत्र रामपाल निवासी ग्राम निरौजपुर गुर्जर थाना व जनपद बागपत द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तों 1. सागर पुत्र रणधीर निवासी ग्राम निरौजपुर गुर्जर थाना बागपत, 2. आकाश पुत्र नामालूम, 3. सूरज पुत्र नामालूम, 4. सुल्तान पुत्र नामालूम निवासीगण ग्राम ग्यासरी उर्फ गांधी थाना बागपत तथा 04 अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के पुत्र कुणाल एवं गांव के सन्दीप पुत्र कृष्ण तथा विकास पुत्र नैपाल का रास्ता रोककर हाथों में लिए लाठी-डण्डों, पिस्टल एवं लोहे के पंच से जानलेवा हमला कर मारपीट करना तथा हाथ में ली पिस्टल से जान से मारने की नीयत से तीन फायर करना एवं शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 619/26 धारा 126(2)/190/191(2)/191(3)/131/352/115(2)/109(1)/ 324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही- बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 619/26 धारा

126(2)/191(2)/191(3)/190/131/352/115(2)/109(1)/324(4)61(2) बीएनएस मे वाँछित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1.आदित्य उर्फ सूरज पुत्र प्रदीप उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम गाँधी थाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2.आशु उर्फ सुलतान पुत्र दिनेश उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम गाँधी थाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- **घटना में प्रयुक्त 03 डण्डे ।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री मंजीत सिह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2.है0का0 816 शौकेन्द्र सिह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3.का0 165 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 22.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 605/26 धारा 304(2)/351(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तंमचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 मोबाइल, 06 बैटरी मोबाइल, 03 मदरवोर्ड मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12-09-2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी कपिल पुत्र सतपाल, निवासी ग्राम लुहारी, थाना बड़ौत, जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि तीन अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा वादी से मोबाइल फोन OPPO 25 Pro तथा हेलमेट छीन लिया गया तथा धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 605/26 धारा 304(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही- बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 605/26 धारा 304(2)/351(2) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है , जिसके कब्जे से एक अवैध तंमचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 मोबाइल, 06 बैटरी मोबाइल, 03 मदरवोर्ड मोबाइल तथा घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल बरामद हुई है।

उक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण- पूछताछ में अभियुक्त आकिब द्वारा बताया गया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर सुनसान स्थान पर जाते हुए व्यक्तियों से मोबाइल छीन कर उन मोबाइल के मदर बोर्ड, बैटरीं व अन्य समान निकालकर दिल्ली बेच देते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आकिब पुत्र सलीम निवासी मौ0 नई बस्ती कैतीपुरा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तंमचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।
- घटना मे प्रयुक्त एक मोटर साईकिल नं UP17AA1136
- 04 मोबाइल फोन, 06 मोबाइल बैटरीं , 03 मोबाइल के मदर बोर्ड।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री शारिक अली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2.है0का0 652 मोहित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3.का0 62 अरीब पठान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
4.है0का0 281 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
5.का0 250 कोमल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट   दिनाँक-22.09.2026

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू/छुरी बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू/छुरी बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 313/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शिवम पुत्र राधेश्याम निवासी पट्टी रतराना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध चाकू/छुरी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 विकुल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

2.है0का0 510 प्रदीप कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

3.एचजी 533 सुनील कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनांक 22.09.2026**

थाना कोतवाली बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 648/26 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 648/26 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- अपर्हता को दिनांक 14.09.2026 को बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

तालिब पुत्र सलीम उर्फ जिद्दी निवासी मुरादपुरा थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 21 बर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री संदीप राजपूत थाना बडौत जनपद बागपत।
2.है0का0 268 ग्रीश कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
3.है0का0 121 संजय कुमार कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला **दिनाँक 22.09.2026**

थाना रमाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 एक अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही –

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शहनवाज पुत्र लुकमान उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण –

- एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

2.है0का0 819 दोसेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

3.है0का0 753 संदीप कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला   दिनाँक 22.09.2026

थाना रमाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान 01 शातिर मो0सा0 चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की एक स्प्लैन्डर बाइक बरामद।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 शातिर मो0सा0 चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की एक स्प्लैन्डर बाइक बरामद हुई है।

उक्त के सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 195/26 धारा 317/(2) BNS पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

प्रशांत पुत्र जसवीर निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की हुई एक स्प्लैन्डर बाइक नं0 HR05AW0377 बिना नं प्लेट, चेसिस नं0 MBLHAR075HHM13594 (E-FIR नं0 202600002564 उत्तराखण्ड से सम्बन्धित है।)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत।

2.रि0का0 524 मनोज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

3.का0 1043 सुनील यादव थाना रमाला जनपद बागपत।

4.रि0का0 247 धीरज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत   दिनांक 22.09.2026

थाना कोतवाली बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 656/26 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 656/26 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- अपर्हता को दिनांक 19-09-2026 को बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

शेखर पुत्र विजयपाल निवासी टाण्डा माजरा खतौली रोड थाना बुडाना जनपद मुजफ्फरनगर उम्र करीब 19 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना बडौत जनपद बागपत
2-है0का0 750 सुनील कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत
3-का0 647 प्रवीण भाटी थाना बडौत जनपद बागपत
4-का0 449 सौरभ कुमार थाना बडौत जनपद बागपत

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 22.09.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाना के मु0अ0सं0 638/26 धारा 137(2) /65(1) बीएनएस व ¾(2) पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही- बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 638/26 धारा 137(2) /65(1) बीएनएस व ¾(2) पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- अपर्हता को दिनांक 20-09-2026 को बरामद किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फरदीन इन्द्रीशी उर्फ फरदीन पुत्र शहिद उम्र 19 वर्ष निवासी मौहल्ला देशराज पांडव रोड सुभाष गेट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 151 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी दिनाँक 22.09.2026

थाना बालैनी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान ट्यूबवेल एवं ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले अन्तरजनपदीय गिरोह के 01 सदस्य को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) तथा उसके 02 अन्य साथियों को पुलिस कॉम्बिंग के दौरान किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 रेहड़ा मोटर इंजन युक्त, 02 बिना नम्बर मोटरसाइकिल तथा ट्यूबवेल/ट्रांसफार्मर चोरी से संबंधित केबल, स्टार्टर, कटआउट एवं चोरी में प्रयुक्त औजार आदि बरामद।

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 21.09.2026 की रात्रि थाना बालैनी पुलिस को मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि थाना बालैनी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरियाखेड़ा के बनी जंगल में कुछ बदमाश ट्यूबवेल एवं ट्रांसफार्मर चोरी करने के उद्देश्य से आए हुए हैं। सूचना पर थाना बालैनी पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी किए जाने पर अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में 01 अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र हरिदास निवासी मेहरती गणेशपुर थाना सरधना, जनपद मेरठ, हाल निवासी पावली खास थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया।पुलिस

कॉम्बिंग के दौरान अभियुक्त के 02 अन्य साथी आशु उर्फ आशुतोष पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम दौलतपुर थाना सरधना, जनपद मेरठ तथा सलमान उर्फ गंजा पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम पावली खास थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 रेहड़ा मोटर इंजनयुक्त, 02 बिना नम्बर मोटरसाइकिल तथा ट्यूबवेल/ट्रांसफार्मर चोरी से संबंधित केबल, स्टार्टर, कटआउट एवं चोरी में प्रयुक्त औजार आदि बरामद हुए हैं। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा जनपद बागपत के थाना बालैनी, बिनौली एवं बड़ौत क्षेत्र में ट्यूबवेल एवं ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं कारित करना स्वीकार किया गया है।

उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध मे थाना बालैनी पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1-सुरेन्द्र पुत्र हरिदास निवासी मेहरती गणेशपुर थाना सरधना मेरठ हाल निवासी पावली खास थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ उम्र 35 वर्ष (घायल अवस्था मे)

2.आशु उर्फ आशुतोष पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम दौलतपुर थाना सरधना जनपद मेरठ ।

3.सलमान उर्फ गंजा पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम पावली खास थाना कंकरखेडा जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर,
- 01 रेहड़ा मोटर इंजनयुक्त,
- 02 बिना नम्बर मोटरसाइकिल
- ट्यूबवेल/ट्रांसफार्मर चोरी से संबंधित केबल, स्टार्टर, कटआउट
- चोरी में प्रयुक्त औजार

गिरफ्तार अभियुक्त सुरेन्द्र का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र हरिदास निवासी मेहरती गणेशपुर थाना सरधना, जनपद मेरठ, हाल निवासी पावली खास थाना कंकरखेड़ा, जनपद मेरठ के विरुद्ध मेरठ रेंज एवं उसके आस-पास के जनपदों में कुल 50 अभियोग पंजीकृत हैं।

1- मु0अ0सं0 133/26 धारा 303(2),305,3(5),117(2),331(4),109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बालैनी जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 74/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 91/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

4-मु0अ0सं0 97/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

5-मु0अ0सं0 116/26 धारा 303(2)/331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

6-मु0अ0सं0 118/26 धारा 303(2)/ 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

अभियुक्त आशु उर्फ का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 133/26 धारा 303(2),305,3(5),117(2),331(4),109(1) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 74/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 91/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

4-मु0अ0सं0 97/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

5-मु0अ0सं0 116/26 धारा 303(2)/331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

6-मु0अ0सं0 118/26 धारा 303(2)/ 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

सलमान उर्फ गंजा पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम पावली खास थाना कंकरखेडा मेरठ

1- मु0अ0सं0 133/26 धारा 303(2),305,3(5),117(2),331(4),109(1) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 74/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 91/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

4-मु0अ0सं0 97/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

5-मु0अ0सं0 116/26 धारा 303(2)/331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

6-मु0अ0सं0 118/26 धारा 303(2)/ 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री महेन्द्र पाल सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
2. उ0नि0 श्री रमेश चन्द थाना बालैनी जनपद बागपत ।
3. उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
4. उ0नि0 देवेन्द्र शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत ।
5. उ0नि0 नन्दकिशोर राजपूत थाना बालैनी जनपद बागपत ।
6. उ0नि0 पंकज कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।
7. कां0 912 सूरज सिकरवार थाना बालैनी जनपद बागपत ।